

न्यायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम जिला करौली

सू० न० 62/18

तारीखरजू:- 11-10-18

उनवान:- भवानी आदि बनाम धूजी वगै०

प्रार्थना पत्र रिसीवरी अन्तर्गत धारा 212

| दिनांक | फर्द अहकाम |
|----------|--|
| 11-10-18 | प्रार्थी की ओर से श्री सुरेश चन्द शर्मा एडवोकेट ने प्रार्थना पत्र वावत रिसीवरी अन्तर्गत धारा 212 रा0टि0एक्ट के तहत प्रस्तुत किया गया। रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी गण को जरिये नोटिस तलब कर पत्रावली दिनांक 19.12.18 को पेश हो। उप जिला कलक्टर टोडाभीम जिला करौली 19.12.18 प्रार्थी वकील उप०/अप्रार्थी बाबजूद सूचना उपस्थित नहीं है। P.O. सा० अककाश पर है आदिना दिनांक 18-1-19 को पेश हो। वकुलाय उपस्थित/पीठासन अधिकारी अककाश है। अतः पत्रावली गतानुसार दिनांक 13-2-19 को पेश हो। 13.2.19 पत्रावली पेश हुई। वार की ओर से कार्य स्थगन रखा गया है। गतानुसार दिनांक 13-3-19 को पेश हो। 13.4.19 प्रार्थी वकील उप०/अप्रार्थी गण की ओर से श्री देवेन्द्र कुमार शर्मा Adv. ने उपस्थित दर्ज की। P.O. साख अग्रण पर पधोर है आदिना दिनांक 18.4.19 को पेश हो। 18.4.19 वकुलाय उपस्थित/पीठासन अधिकारी चुनाव कार्य में उपस्थित है। अतः पत्रावली गतानुसार दिनांक 7-6-19 को पेश हो। |

गणतंत्र
अप्रार्थी



न्यायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम जिला क


फर्द अहकाम

| दिनांक | फर्द अहकाम |
|---------|--|
| 7.6.19 | वकूलाय उप०। वकालतनामा व जबाब पेश करने दिनांक 5.7.19 को पेश हो। |
| 5.7.19 | वकूलाय उप०। गतानुसार दिनांक 26.7.19 को पेश हो। |
| 26.7.19 | वकूलाय उपस्थित/पीठासन अधिकारी करौली पधारे है। अतः पत्रावली गतानुसार दिनांक 28.8.19 को पेश हो। |
| 28.8.19 | वकूलाय उप०। जबाब प्रार्थनापत्र रिलीवर पेश किया जबाब की प्रति वकील प्रार्थी ने प्राप्त की। बाले बहस दिनांक 27.9.19 को पेश हो। |
| 27.9.19 | वकूलाय उप०। बहस सुनी गई। बाले आदेश दि० 3.10.19 को पेश हो। |
| 3.10.19 | वकील उमययस उपस्थित। पत्रावली प्रार्थना पत्र रिलीवर के आदेश में निपत हो। प्रार्थना पत्र रिलीवर इस प्रकार प्रस्तुत किया है कि साविक आराजी एवं. नं० 819 गौरसायलान के पिता दामोदर सायलान के पिता रामभरोही व मुखेपिता विशनलालने खरीद का कब्जा प्राप्त किया है सायलान काफिर है। गौरसायलान जबदस्ती बेइबल करना चाहते हैं। अतः बाले खसरा नम्बर 1225/0.33 1226/0.28 कोके गुप्त ऊगदीशपुरा को कब्जे राजमें लिया जाये तहसीलदार टोडाभीम को रिलीवर नियुक्त किया जावे। गौरसायलान ने जबाब प्रार्थनापत्र रिलीवर प्रस्तुत किया है कि उक्त विवाहित आराजीयात |

उपजिला कलक्टर
टोडाभीम (करौली)


न्यायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम

| नांक | फर्द अहकाम | |
|------|---|--|
| | <p>गैरसायलान की खोतेदारी एवं कब्जे काशत की आराजी की प्रार्थना का उसे कोई संबंध किसी प्रकार से नहीं है सायलान को माननीय न्यायालय से बाबंद किया हुआ है कि कब्जे काशत में व्यवधान नहीं करें। गैरसायलान के नाम दर्ज खोतेदारी की श्रमि पर रिहिवी नमूना नहीं किया जा सकता है।</p> <p>अतः प्रार्थना का रिहिवी खारिज करमाया जाए।</p> <p>वकील सायलान ने प्रार्थना का रिहिवी में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा वकील गैरसायलान ने जबकि प्रार्थना का रिहिवी में वर्णित तथ्यों को दोहराया। यह भी कथन किया कि विवादित आराजीयात के बाबत न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी स्वर्णमोहपुर में अपील विचाराधीन है तथा स्पष्ट आदेश भी है अतः प्रार्थना का रिहिवी खारिज करमाया जाए।</p> <p>वकील अभयपश की बहस पर मन्न किया। पत्रावली में शामिल दस्तावेजों का अवलोकन किया। नकल जमाबंदी सेवत 2069-72 गुप्त गगदीशपुरा के अमुस्ता खसरा नम्बर 122/0-33, 1226/0-88 की खोतेदारी गैरसायलान के नाम दर्ज है सायलान का उक्त श्रमि से कोई संबंध नहीं है तथा उक्त विवादित आराजीयात के संबंध में अपील मान न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी स्वर्णमोहपुर में विचाराधीन होगा एवं स्पष्ट आदेश होगा स्वयं वकील सायलान ने दौरान बहस कप्त किया है अपील का मेरिट के आधार पर निस्तारण होगा है।</p> <p>अतः सायलान के नाम खोतेदारी दर्ज नहीं होगे।</p> | |


 उपजिला कलक्टर
 टोडाभीम (करौली)

लगोवा

न्यायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम

| दिनांक | फर्द अहकाम |
|--------|---|
| | <p>तथा उक्त आराजीपात से संबंधित अपील माननीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी स्वार्थ मापेण्डु में विचारधीन होने तथा स्थगन आदेश होने के कारण प्रार्थना पत्र रिसीवर स्वीकार योग्य नहीं होने से खारिज किया जाता है।</p> <p>पत्रावली के सलत शुमार होकर नम्बर से कम होकर दारिखत दफतर है।</p> <p style="text-align: right;"> (<u>दुर्गा प्रसाद श्रीवा</u>) उपजिला कलक्टर टोडाभीम (कसौली)</p> |